महिला विकास निगम, बिहार

(समाज कल्याण विभाग, बिहार)

द्वितीय तल, इंदिरा भवन, आर. सी. सिंह पथ, बेली रोड, पटना

राज्य के 8 जिलों में अल्पावास गृह के संचालन हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं से अभ्यावेदन प्राप्ति हेतु सूचना

विभिन्न प्रकार की हिंसाओं से पीड़ित महिलाओं को अल्पकालीन आश्रय प्रदान करने हेतु महिला विकास निगम, बिहार द्वारा मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजनान्तर्गत राज्य के सभी जिलों में 25 बिस्तर की क्षमता वाले अल्पावास गृह की एक ईकाई का संचालन किया जाना है। वर्त्तमान में राज्य के 24 जिला में जिला प्रशासन के नियंत्रणाधीन स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से योजना का संचालन किया जा रहा है। शेष बचे हुये जिलों यथा–कटिहार, रोहतास, नालंदा, समस्तीपुर, अररिया, बांका, मधुबनी, एवं नवादा जिलों के लिए 25 बिस्तर वाले अल्पावास गृह के संचालनार्थ स्वयं सेवी संस्थाओं से अभ्यावेदन आमंत्रित किये जाते है, जिसके लिए निम्नलिखित अर्हताएँ होना आवश्यक है इसके चयन की प्रक्रिया कंडिका–4 में उल्लेखित की जा रही है।

2. आवेदक संस्थाओं की निम्नलिखित अर्हताएँ होगी:–

- I. संस्था 03 वर्ष पूर्व से निबंधित हो।
- II. संस्था को समरूप कार्य के संपादन यथा अल्पावास गृह/आवासीय योजना के संचालन का अनुभव हो।
- III. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो। विगत तीन वर्षो यथा वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 में न्यूनतम 10 लाख सलाना का टर्न ओवर हो।
- IV. मानव पणन, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास संबंधी कार्य करने वाली संस्था को वरीयता दी जायेगी।
- V. स्वयं सेवी संस्था के चयन में स्थानीय योग्य संस्था को प्राथमिकता दी जायेगी।
- VI. संस्था काली सूची में दर्ज ना हो एव ना ही किसी सदस्य के ऊपर न्यायालय द्वारा कोई मुकदमा तथा आरोप–पत्र सिद्व हुआ हो। इस आशय का शपथ–पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर संलग्न करना होगा।
- VII. निगम अथवा किसी भी अन्य सरकारी संस्थान द्वारा संचालित किसी भी परियोजना/कार्यक्रम से पूर्व में कार्य मुक्त की गई संस्था आवेदन के पात्र नहीं होगी। कार्यमुक्त नहीं किये जाने संबंधी आशय का शपथ–पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर संलग्न करना आवश्यक होगा।
- VIII. मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अल्पावास गृह/हेल्पलाईन की दो ईकाई का संचालन करने वाली संस्था आवेदन के पात्र नहीं होगी।
- IX. आयकर अधिनियम 12 A के तहत संस्था निबंधित हो (निबंधन प्रमाण पत्र सहित) 3. प्रस्ताव के साथ कंडिका 2 में वर्णित अर्हताओं से संबंधित दस्तावेज के साथ–साथ निम्नांकित अभिलेख/दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा:–

- I. संस्था की पृष्ठभूमि एवं परिचय।
- II. प्रस्तावित कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर दृष्टिकोण

4. प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में संस्था के चयन हेतु दो चरण निर्धारित किये गये है:–

- प्रथम चरण (तकनीकी रिव्यु)–इसके अंतर्गत मार्गदर्शिका/विज्ञापन में वर्णित अर्हताओं के आलोक में संस्था द्वारा समर्पित दस्तावेजों की जांच करते हेए अगले चरण हेतु चयन स्वयं सेवी संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों की जाँच जिला पदाधिकारी के स्तर पर गठित समिति जिसमें महिला विकास निगम के एक प्रतिनिधि होंगे, द्वारा की जायेगी।
- द्वितीय चरण (अंक निर्धारण)– संस्था के चयन हेतु अंक निर्धारित किये गये हैं। अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली संस्था का चयन अंतिम रूप से किया जायेगा। अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार होगा–

क्र.	आधार	कुल अंक (अधिकतम)
1	प्रस्तुतीकरण (च्तमेमदजंजपवद)	15
2	कार्य अनुभव	20
3	साक्षात्कार	15
	कुल अंक	50

प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन के आधार पर चयनित संस्थाओं की विश्वसनीयता की संपुष्टि उपरांत ही योजना के संचालन का दायित्व दिया जायेगा।

उपरोक्त अर्हतायें पूरी करने वाली स्वयं सेवी संस्थाएँ दिनांक 19 अगस्त 2016 तक अपना प्रस्ताव कूरियर/रजिस्ट्री के माध्यम से स्वीकार किया जायेगा। प्रस्ताव प्राप्ति के अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा। योजना की विस्तृत विवरणी निगम के बेवसाइट www.wdcbihar.org.in पर उपलब्ध है।

प्रबंध निदेशक

PR-4101(N.N.)16-17 Website : www.prdbihar.gov.in